मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3966
18.08.2025 को उत्तर के लिए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और लैंडफिल उपचार

3966. श्री आलोक शर्मा :
श्री पी. सी. मोहन :
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :
श्री नव चरण माझी :
श्री गोडम नागेश :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री प्रवीण पटेल :
सुश्री कंगना रनौत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत लैंडफिलों की, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के बेंगलुरु सहित राज्य और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने इन लैंडफिलों के आकार, क्षमता और संतृप्ति स्थिति के आंकड़े संकलित किए हैं;
(ग) क्या देश भर में पुराने लैंडफिलों का वैज्ञानिक प्रबंधन करने या उन्हें बंद करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
(घ) केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और लैंडफिल उपचार के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का बेंगलुरु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (एसडब्ल्यूएम), 2016 के अनुसार, स्थानीय निकायों को सभी पुराने खुले डंपसाइटों और मौजूदा परिचालन डंपसाइटों की जैव-खनन और जैव-उपचार की क्षमता के लिए जांच और विश्लेषण करना अनिवार्य है और जहां भी संभव हो, साइटों पर जैव-खनन या जैव-उपचार के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है। इन नियमों में स्थानीय निकायों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से केवल अनुपयोगी, गैर-पुनर्चक्रण, गैर-जैवनिम्नीकरण, गैर- दहनशील और गैर-प्रतिक्रियाशील निष्क्रिय अपशिष्ट तथा प्रसंस्करण-पूर्व बेकार अपशिष्ट और अवशेषों को ही सैनिटरी

लैंडफिल में जाने की अनुमति दें तथा सैनिटरी लैंडफिल स्थलों को उक्त नियमों की अनुसूची-I में दिए गए विनिर्देशों को पूरा करना अपेक्षित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रस्तुत 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 379 लैंडफिल प्रचालन में हैं। देश में लैंडफिल का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मंडी लोकसभा क्षेत्र में तीन लैंडफिल साइट हैं। बेंगलुरु के मित्तगनहल्ली क्षेत्र में एक लैंडफिल साइट प्रचालन में है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुराने अपशिष्ट के निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पुराने अपशिष्ट के जैव-खनन के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।

(घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एसबीएम (यू) 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में 10,930.12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, ताकि नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जा सकें और साथ ही पुराने अपशिष्ट डंप स्थलों का शोधन किया जा सके। एसबीएम (यू) 2.0 के अंतर्गत एसडब्लूएम और पुराने अपशिष्ट शोधन के लिए आवंटित निधि, केन्द्र सरकार की स्वीकृत हिस्सेदारी का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक ।

देश में प्रचालन सैनिटरी लैंडफिल का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	**राज्य**	**लैंडफिल की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	1
3.	चंडीगढ़	1
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	दादरा नगर हवेली, दमन और दीव	1
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	2
8.	गुजरात	11
9.	हरियाणा	2
10.	हिमाचल प्रदेश	8*
11.	जम्मू और कश्मीर	1
12.	कर्नाटक	182
13.	लद्दाख	1
14.	मध्य प्रदेश	9
15.	मणिपुर	5
16.	मिजोरम	1
17.	पंजाब	76
18.	राजस्थान	2
19.	सिक्किम	1
20.	तेलंगाना	1
21.	त्रिपुरा	2
22.	उत्तर प्रदेश	57
23.	उत्तराखंड	2
24.	पश्चिम बंगाल	6
कुल		**379**

* हिमाचल प्रदेश में कोई सैनिटरी लैंडफिल नहीं है। हालाँकि, राज्य में 8 पुराने अपशिष्ट डंप स्थल हैं।

अनुलग्नक II

एसबीएम (यू) 2.0 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवंटित और स्वीकृत धनराशि का राज्यवार विवरण, जिसमें विरासत अपशिष्ट उपचार भी शामिल है

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन		अपशिष्ट उपचार के लिए केंद्र सरकार का स्वीकृत हिस्सा
		मिशन आवंटन	स्वीकृत केंद्र सरकार का हिस्सा	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.50	5.50	0.00
2	आंध्र प्रदेश	458.10	458.18	167.28
3	अरुणाचल प्रदेश	33.20	11.53	1.29
4	असम	118.30	111.42	0.00
5	बिहार	341.10	311.98	11.65
6	चंडीगढ़	28.50	28.50	28.50
7	छत्तीसगढ़	200.10	95.51	0.00
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.80	0.00	0.00
9	दिल्ली	1152.60	1116.50	1116.50
10	गोवा	12.30	4.88	0.00
11	गुजरात	701.40	643.94	147.30
12	हरियाणा	226.90	207.71	102.45
13	हिमाचल प्रदेश	36.50	39.63	23.29
14	जम्मू और कश्मीर	131.70	345.47	125.24
15	झारखंड	174.90	62.70	42.11
16	कर्नाटक	709.30	625.50	310.28
17	केरल	205.80	106.52	37.04
18	लद्दाख	19.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	617.50	413.52	122.51
20	महाराष्ट्र	1438.10	1315.00	727.90
21	मणिपुर	23.90	25.08	2.99
22	मेघालय	16.80	16.67	7.08
23	मिजोरम	22.20	25.87	0.00
24	नागालैंड	38.54	52.02	20.23
25	ओडिशा	209.80	157.73	78.18
25	पुदुचेरी	46.18	46.18	13.72
27	पंजाब	294.20	293.29	102.05
28	राजस्थान	541.80	505.36	212.75
29	सिक्किम	6.20	16.13	13.15
30	तमिलनाडु	807.40	747.58	282.29
31	तेलंगाना	381.90	335.69	69.09
32	त्रिपुरा	23.00	27.68	27.68
33	उत्तर प्रदेश	1235.90	631.96	94.05
34	उत्तराखंड	89.00	76.74	76.74
35	पश्चिम बंगाल	577.70	577.88	217.81
	कुल	**10930.12**	**9439.85**	**4181.13**